न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 27 /2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मदन पुत्र अर्जुन।
2 बंशी पुत्र अर्जुन।
3 भागोती देवी पत्नी अर्जुन समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी फुटली तन ग्राम रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 सुवालाल पुत्र धन्नाराम।
2 रिछपाल पुत्र धन्नाराम।
3 जगदीश प्रसाद पुत्र जगन्नाथ।
4 बक्साराम पुत्र नानूड़ा।
5 गिरधारी पुत्र नानूड़ा।
6 झाबर पुत्र प्रभातीलाल।
7 हीराराम पुत्र प्रभातीलाल।
8 सुरेश कुमार पुत्र प्रभातीलाल।
9 गीता देवी पुत्री प्रभातीलाल।
10 बिमला देवी पुत्री प्रभातीलाल।
11 दड़कली देवी पुत्री प्रभातीलाल।
12 हेमाराम पुत्र गणपतराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13 सागर पुत्र गणपतराम।
14 सुन्दरी पत्नी सुमित कुमार।
15 सुशीला पत्नी सुमित कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी फुटली तन ग्राम रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर।
16 मांगीलाल पुत्र गोपी जाति बलाई निवासी ग्राम रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर।
17 गिरधारी पुत्र सुरजा।
18 बंशी पुत्र नारायण।
19 दयाला पुत्र नारायण।
20 श्रवणी पुत्री सुरजाराम।
21 संतोष पुत्री सुरजाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी फुटली तन ग्राम रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान।
22 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुरा हाल तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
23 पटवारी हल्का रलावता तहसील खण्डेला जिला सीकर।
24 कमला देवी पुत्री अर्जुन।
25 संतोष देवी पुत्री अर्जुन।
26 गोकुल देवी पुत्री अर्जुन समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी फुटली तन रलावला तहसील श्रीमाधोपुर वर्तमान खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय/आदेश दिनांक 24.03.17
संशोधित आदेश दिनांक 31.03.17 मु.नं. 67/12
बी.टी.नं. 30/14 बउनवानी सुवालाल वगैरह बनाम
जगदीश वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला जिला सीकर अपील अं. 225 राज.काश्त.अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थित

1. श्री रामेश्वर लाल बिजारनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–01.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 67/12 बी.टी. नम्बर 30/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 31.03.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष एक प्रकरण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 366 ग्राम रलावता में आने जाने के लिए श्रीमाधोपुर खण्डेला रोड से पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 372,371,370,367 की दक्षिणी सीमाओं से सटाकर इन भूमियों में से है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिए 10 फिट चौड़ा रास्ता संलग्न नक्शा राजस्व अभिलेख में गै. मु. रास्ता अंकित किया जावें।

उक्त आशय के आवेदन/प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलांट ने अभिकथित किया कि खसरा नम्बर 372,371,370,366 की दक्षिण सीमाओं से होकर कोई रास्ता नही निकाला गया है प्रार्थीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

खसरा नम्बर 390,391,354,355,366 के खातेदार है जो केवल खसरा नम्बर 366 का विवरण देकर बदनियति से रास्ता चाहते है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 390 में आबाद है। इनके उतर में भूमि खसरा नमबर 298,297 वाके रलावता है जिसमें खसरा नम्बर 299 की खातेदारी बिडदूराम, भगवान सिंह, सुवालाल व इनके उतर मं भूमि खसरा नम्बर 297 स्थित है जिसकी खातेदारी गिरधारी, बंशी, दयाला, श्रवणी, संतोष/अप्रार्थीगण संख्या 16 से 20 के नाम दर्ज है और यही व्यक्ति खसरा नम्बर 367 के खातेदार भी है जो यदि प्रार्थीगण को रास्ता खसरा नम्बर 367 में से देते है तो खसरा नम्बर 297 मं से भी दे सकते है। जिसके आगे रास्ता कटानी मौजूद है जो रास्ता सीधा ढ़ाणी फुटली व ढ़ाणी फुटली से श्रीमाधोपुर खण्डेला सड़क मार्ग से मिलता है तथा निकटतम व लघुतम रास्ता यही है। प्राथीगण व अप्रार्थीगण ने अपीलांट के विरूद्व एक नाजायज संगठन बना रखा है जिन्होने एक साजिस के तहत गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा जब रास्ता कटाने में अप्रार्थीगण रूचि रखते है तो खसरा नम्बर 361,362,363,364,365 की दक्षिणी सीमाओं के सहारे रास्ता काटा जावे तो ज्यादा सुविधाजनक व बिना मोड़/घुमाव का रहेगा।

योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार जी से रिपोर्ट चाही जो उन्होने तैयार न कर हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गयी जिसमें अन्य रास्तो को दर्शित नही किया, न ही रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यान्तिक आवश्यक है का स्पष्टीकरण दिया, जिसके विरूद्व अपीलांटस ने एतराज प्रार्थना पत्र व पुनः अन्य रास्तो के बाबत रिपोर्ट मंगवाये जाने के प्रार्थना पत्रों पर दिनाक 22.03.2017 को बहस सुनी व उसी दिन पत्रावली में सम्वत बहस सुनी जाने की आदेशिका लिखते हुए दिनांक 24.03.2017 को पूर्व में भेजी गयी रिपोर्ट पर एतराज प्रार्थना पत्र पुन वैकल्पिक रास्तों की रिपोर्ट मंगवाये जाने के प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए उसी दिन व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक को बिना बहस सुने ही धारा 251ए आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया व तत्पश्चात अपीलांट को बिना सुने ही पुनः दिनांक 31.03.2017 को संशोधित आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 297 की खातेदारी रेस्पोर्डेट 1620 के नाम है 251ए में राजीनामा कर चुके है। 297 तक सरकारी रास्ता है जो इनके खेतों के उत्तर में है मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत तहसीलदार द्वारा तैयार नही की जाकर पटवारी द्वारा तैयार की है। नजरी नक्शे को आधार बनाया गया है विचारण न्यायालय ने 22.03.2017 को ऐतराज प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई थी अंतिम बहस नही सुनी थी अपीलांट को सुने बिना 24.03.2017 को निर्णय कर दिया पुन बिना सुने ही 31.03.2017 को संशोधन आदेश पारित कर दिया। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं प्रकिया के विपरित होने से निरस्त योग्य है अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका में स्पष्ट अंकित है कि दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई है दिनांक 24.03.2017 को तीनों प्रार्थना पत्रो का अलग–अलग फैसला लिखाया गया है विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय में दौराने बहस मौके पर रास्ता नही होने का अपीलांट ने कथन नही किया है अनावेदक का 1/15 हिस्सा है शेष सब सहमत है रिकार्ड में अमल हो चुका है रास्ता चालु है। इस नियम में समरी प्रोसिडिंग होती है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट सारहीन है अपील खारिज की जाये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.03.2017 को दोनों प्रार्थना पत्रों एवं मुल प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई है एवं पत्रावली दिनांक 24.03.2017 को आदेश में रखी गई है विचारण न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रिपोर्ट पर प्रस्तुत ऐतराज पर विधिक विवेचन कर प्रार्थना पत्र ऐतराज खारिज किया है इसी प्रकार पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई जाने के प्रार्थना पत्र पर भी सम्पूर्ण विवेचन कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। तदुपरान्त धारा 251ए पर विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

01/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर